संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 22, 1981

जी. एस. आर. 70.- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का राजस्थान अधिनियम 6) की धारा 6-क की उप-धारा (2) तथा (5) के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार विधान सभा के अधिकारियों के उपयोग के लिए रखी गई राजकीय कार के उपयोग और रख-रखाव के सम्बन्ध में तथा उन्हें यात्रा भत्ते के संदाय के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम.- इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा अधिकारी (यात्रा भत्ता तथा राजकीय कार का उपयोग और रख-रखाव) नियम, 1981 है।

2. लागू होना.- इन नियमों का नियम 3 राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पर और सरकारी मुख्य सचेतक तथा सरकारी उप मुख्य सचेतक पर भी, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकारियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, लागू होगा और इन नियमों का नियम 4 विरोधी दल के नेता पर लागू होगा।

3. राजकीय कार और यात्रा भत्ते की सुविधा.- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का राजस्थान अधिनियम 6) की धारा 6-क की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन उक्त अधिकारियों के उपयोग के लिए रखी गयी राजकीय कार के उपयोग और रख-रखाव और उक्त अधिनियम की धारा 6-क की उप-धारा (5) के अधीन उक्त अधिकारियों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते की मंजूरी के मामले में तत्समय प्रवृत्त राजस्थान मंत्री (यात्रा भत्ता तथा वाहन का उपयोग और रख-रखाव) नियम, 1974 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

4. विरोधी दल के नेता को यात्रा भत्ता.- विरोधी दल का नेता तत्समय प्रवृत्त राजस्थान मंत्री (यात्रा भत्ता तथा वाहन का उपयोग और रख-रखाव) नियम, 1974 के अधीन किसी मंत्री को यथा अनुज्ञेय यात्रा तथा दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

5. निरसन.- राजस्थान विधान सभा अधिकारी वर्ग सरकारी यात्रा नियम, 1957 और राजस्थान सरकारी मुख्य सचेतक (सुविधाएं और सुख-सुविधाएं) नियम, 1969 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

[संख्या एफ. 7(7) संसद/81]

राज्यपाल के आदेश से,

गोपाल कृष्ण शर्मा,

शासन सचिव।